संघ लोक सेवा आयोग

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2027

परीक्षा नोटिस	
परीक्षा की अधिसूचना की तारीख	25.11.2026
आवेदन भरने की अंतिम तारीख	15.12.2026
परीक्षा की तारीख	14.03.2027
परीक्षा केन्द्र	नई दिल्ली

(आयोग की वेबसाइट – https://upsc.gov.in)

उम्मीदवारों हेतु महत्वपूर्ण सूचना

ऑनलाइन पंजीकरण तथा आवेदन प्रपत्र भरने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के चार कार्ड/मॉड्यूल हैं, जिनमें से तीन यथा अकाउंट खोलना, यूनिवर्सल पंजीकरण तथा समान आवेदन प्रपत्र सभी परीक्षा आवेदनों के लिए एक समान हैं और उम्मीदवार द्वारा किसी भी समय भरे जा सकते हैं जबकि चौथा कार्ड/मॉड्यूल परीक्षा विशेष से संबंधित है जिसे किसी परीक्षा की अधिसूचना में उल्लिखित समय सीमा के भीतर भरा जा सकता है। आवेदक वेबसाइट https://upsconline.nic.in का प्रयोग करके ऑनलाइन आवेदन करें।

उम्मीदवार द्वारा ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर पंजीकरण करने के बाद यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) जनरेट होती है, जो आयोग की सभी परीक्षाओं के लिए समान होती है। परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र भरने के बाद, एक आवेदन संख्या जनरेट की जाती है, जो परीक्षा विशिष्ट होती है और आवेदक द्वारा आयोग के साथ किसी भी भावी पत्राचार के लिए इसे यूआरएन के साथ सुरक्षित रखा जाना अपेक्षित है। यूआरएन जीवनकाल में एक ही बार पंजीकृत करना होगा। जहाँ एक ओर यूआरएन विशिष्ट ही रहेगा और वही हमेशा प्रयुक्त होगा वहीं दूसरी ओर आवेदन संख्या परिवर्तनीय होगी और प्रत्येक परीक्षा में बदलती रहेगी।

आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने के लिए उम्मीदवारों को दिशा-निर्देश देने हेतु विस्तृत अनुदेश इस पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर और सभी प्रोफाइल/मॉड्यूल के साथ उपलब्ध हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इन अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और पहले से अपने अपेक्षित दस्तावेज तैयार रखें ताकि आवेदन प्रपत्र भरने और दस्तावेज अपलोड करने का कार्य सुचारु रूप से हो सके।

आवेदकों को आईडी तथा अन्य विवरणों के सरल और निर्बाध सत्यापन तथा अधिप्रमाणन के लिए, जहां तक संभव हो, आईडी दस्तावेज के रूप में अपने आधार कार्ड का इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है।

<u>परीक्षा के लिए उम्मीदवार अपनी पात्रता सुनिश्चित कर लें :</u>

सभी उम्मीदवारों से निवेदन है कि सरकार (गृह मंत्रालय) द्वारा अधिसूचित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2027 की नियमावली तथा इस नियमावली के आधार पर तैयार किए गए परीक्षा के नोटिस को ध्यान से पढ़ लें। परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हों। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन पूर्णत: अनंतिम होगा।

उम्मीदवार को ई-प्रवेश पत्र जारी किए जाने मात्र का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दी गई है।

<u>फा.सं.15/02/2026-परीक्षा.I.(ख)</u>: संघ लोक सेवा आयोग द्वारा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) की रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 14 मार्च, 2027 को सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2027 का आयोजन किया जाएगा। **यह परीक्षा नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।** इस परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली रिक्तियों की अनुमानित संख्या **07 (सामान्य-06, अ.जा.-01, अ.ज.जा.-00)** है।

2. यह परीक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के विभागीय उम्मीदवारों की केवल कुछ श्रेणियों के लिए है। **उम्मीदवार पात्रता की शर्तों, परीक्षा पाठ्यक्रम तथा योजना, शारीरिक/चिकित्सा मानदंड आदि से संबंधित विवरण के लिए, गृह मंत्रालय द्वारा दिनांक 25.11.2026 को भारत के राजपत्र में अधिसूचित इस परीक्षा की नियमावली का अवलोकन करें जिसे सीआईएसएफ की वेबसाइट www.cisf.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह नियमावली आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर भी उपलब्ध होगी।**

3. **<u>आवेदन कैसे करें:-</u>**

उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट <u>https://upsconline.nic.in</u> का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन प्रपत्र भरने से पहले सामान्य अनुदेशों, प्रोफाइल/मॉडयूल-वार अनुदेशों और दस्तावेज अपलोड करने संबंधी अनुदेशों को ध्यान से पढ़ लें। ये अनुदेश मुख्य पृष्ठ के मेन्यू बार में उपलब्ध हैं। जो उम्मीदवार **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल**

सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा 2027 के लिए आवेदन करने के इच्छुक हैं उन्हें यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन), समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) तथा चौथे मॉड्यूल अर्थात् परीक्षा विशिष्ट मॉड्यूल (शुल्क तथा केन्द्र आदि सहित) के साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता आदि विभिन्न दावों के संबंध में आयोग द्वारा अपेक्षित जानकारी तथा सहायक दस्तावेज जमा करने होंगे। समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर परीक्षा के लिए उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

कृपया ध्यान दें: उम्मीदवार के पास किसी एक फोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड/ मतदाता पहचान पत्र (ईपीआईसी)/ पैन कार्ड/ पासपोर्ट/ ड्राइविंग लाइसेंस/ राज्य/ केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी अन्य फोटो पहचान पत्र का विवरण भी होना चाहिए। उम्मीदवार को अपना यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण भरते समय इस फोटो पहचान पत्र का विवरण उपलब्ध कराना होगा। इस फोटो आईडी का उपयोग सभी भावी संदर्भों के लिए किया जाएगा और उम्मीदवार को परीक्षा के लिए उपस्थित होते समय इस पहचान पत्र को साथ ले जाने की सलाह दी जाती है।

<u>नोट 1: यूआरएन विवरण के लिए एक बार संशोधन (एडिट) करने की सुविधा:</u>

आयोग उम्मीदवारों को अपने यूनिवर्सल पंजीकरण संख्या (यूआरएन) विवरण को एक बार अद्यतन या संशोधित करने की सुविधा प्रदान करता है। कृपया ध्यान दें कि यूआरएन विवरण में किए गए बदलाव, पहले से जमा हो चुके आवेदनों में दिखाई नहीं देंगे। अद्यतन सूचना केवल उन आवेदनों पर लागू होगी जो उम्मीदवार द्वारा आवश्यक बदलाव करने और यूआरएन विवरण को सफलतापूर्वक पुनः लॉक करने के बाद जमा किए गए हैं।

<u>नोट 2: समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरने के लिए लाइव फोटो कैप्चर करना:</u>

समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय आवेदक को अपना फोटो अपलोड करना होगा तथा अपनी लाइव फोटो भी कैप्चर करनी होगी। आवेदक यह सुनिश्चित् करें कि अपलोड की गई फोटो तथा कैप्चर की गई लाइव फोटो आयोग की वेबसाइट **<u>https://upsconline.nic.in</u>** में उपलब्ध "अनुदेश तथा प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न > प्रपत्र भरने हेतु अनुदेश > फोटो तथा हस्ताक्षर" में दिए गए अनुदेशों के अनुसार स्पष्ट हो।

<u>नोट 3: हस्ताक्षर अपलोड करना:</u>

आवेदकों को सादे सफेद कागज पर काली स्याही के पेन से तीन बार (एक के नीचे एक) हस्ताक्षर करने होंगे और समान आवेदन प्रपत्र (सीएएफ) भरते समय उसे अपलोड करना होगा। अपलोड किए गए हस्ताक्षर स्पष्ट और सुपाठ्य होने चाहिए। उम्मीदवारों को आयोग की वेबसाइट <u>https://upsconline.nic.in</u> पर "अनुदेश और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्न" के अंतर्गत उपलब्ध हस्ताक्षर अपलोड करने संबंधी अनुदेश देखने की सलाह दी जाती है।"

<u>नोट 4: फोटो अपलोड करना</u>

कृपया ऑनलाइन आवेदन पोर्टल के मुख्य पृष्ठ पर दस्तावेज़ अपलोड करने संबंधी अनुदेशों में दिए गए फोटो अपलोड करने संबंधी अनुदेशों का पालन करें।

4.1 <u>आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख:</u>

ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र दिनांक 25.11.2026 से 15.12.2026 (सायं 06:00 बजे) तक भरे जा सकते हैं।

4.2 <u>आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तारीख:</u>

उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र की एक हार्ड कॉपी**,** उचित प्राधिकारी से प्रमाणित करवाकर, उचित माध्यम से **सीआईएसएफ़ प्राधिकारियों को: महानिदेशक**, **केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 13, सीजीओ कॉम्प्लेक्स**, **लोधी रोड**, **नई दिल्ली-110003** के पते पर दिनांक **01.01.2027** को या उससे पहले सत्यापन और आयोग को भेजने के लिए अग्रेषित करनी होगी।

5. <u>ई-प्रवेश पत्र जारी करना:</u>

ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख के पिछले सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस को जारी किया जाएगा। उम्मीदवार द्वारा डाउनलोड करने के लिए ई-प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर उपलब्ध होंगे। डाक द्वारा कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वे अकाउंट बनाते समय मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आयोग उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल कर सकता है।

6. <u>प्रश्न-पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजी के लिए ऑनलाइन अभ्यावेदन पोर्टल:</u>

आयोग, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2027 के पेपरों में पूछे गए प्रश्नों तथा वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्र (पत्रों) की अनंतिम उत्तर कुंजी के संबंध में परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवारों द्वारा आयोग को दिए जाने वाले अभ्यावेदनों के लिए पांच (05) दिन अर्थात् परीक्षा की तारीख के तीसरे दिन से सातवें दिन सायं 06:00 बजे तक की विंडो प्रदान करेगा। परीक्षा में उपस्थित हुए उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट https://upsconline.nic.in पर लॉगइन करें तथा अपने अभ्यावेदन यदि कोई हो, तो 'परीक्षा **>** प्रश्न पत्र तथा अनंतिम उत्तर कुंजी' संबंधी अभ्यावेदन शीर्ष के अंतर्गत जमा कर सकते हैं। ई-मेल/डाक/दस्ती रूप से या किसी अन्य माध्यम से प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा और आयोग इस संबंध में उम्मीदवारों के साथ कोई पत्राचार नहीं करेगा। पांच (05) दिन की विंडो के बंद होने के पश्चात प्राप्त कोई भी अभ्यावेदन किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

7. <u>उम्मीदवारों के लिए हेल्पडेस्क :</u>

आयोग ने आवेदन प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवारों की सहायता के लिए एक विशिष्ट हेल्पलाइन स्थापित की है। आवेदन प्रक्रिया या परीक्षा विवरण से संबंधित स्पष्टीकरण, मार्गदर्शन या सहायता के इच्छुक उम्मीदवार हेल्पलाइन नंबर 011-24041001 या 011-40303444 अथवा ई-मेल आईडी – upscsoap@nic.in पर संपर्क कर सकते हैं। यह हेल्पलाइन आवेदन अवधि के दौरान, अर्थात दिनांक **25.11.2026 से 15.12.2026** तक सभी कार्य दिवसों में प्रात: 09.00 बजे से रात्रि 08.00 बजे तक चालू रहेगी। आवेदक, शुल्क भुगतान, दस्तावेज अपलोड करने आदि सहित आवेदन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी समस्या के लिए इस सेवा का उपयोग कर सकते हैं।

8. मोबाइल फोन/संचार उपकरण प्रतिबंधित:

(क) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच, एआई एनेबल्ड चश्मे इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण (चाहे वह बंद हो या चालू) पूर्णतः प्रतिबंधित है। इन अनुदेशों का उल्लंघन करने पर अनुशासनिक कार्रवाई सहित भावी परीक्षाओं से विवर्जित भी किया जाएगा।

(ख) उम्मीदवारों को यह सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर मोबाइल फोन, स्मार्ट/डिजिटल वॉच, एआई एनेबल्ड चश्मे, अन्य आईटी गैजेट्स, किताबें, बैग आदि कीमती या मूल्यवान वस्तुएं साथ न लाएं क्योंकि, सामान की सुरक्षा हेतु परीक्षा स्थल पर कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। आयोग इस संबंध में किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

9. परीक्षा स्थल पर रिपोर्ट करना:

परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों का प्रवेश परीक्षा के प्रत्येक सत्र के आरंभ होने से 30 मिनट पहले बन्द कर दिया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश बन्द होने के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

10. <u>परीक्षा स्थल पर उम्मीदवारों के लिए फेस-ऑथेंटिकेशन:</u>

सुरक्षित एवं निर्बाध परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सभी उम्मीदवारों को परीक्षा-स्थल पर अनिवार्य रूप से फेस-ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया से गुजरना होगा। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे फेस-ऑथेंटिकेशन/पहचान के सत्यापन तथा फ्रिस्किंग के लिए पर्याप्त समय पहले परीक्षा-स्थल पर पहुंचें।

11. <u>"अंकों को पूर्णांकित करना" और "टाई ब्रेकिंग सिद्धांत"</u>

टाई के सभी मामलों का समाधान "अंकों को पूर्णांकित करने" और "टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों" के आधार पर निम्नानुसार हल किया जाएगा:-

(क) अंकों को पूर्णांकित करना

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को, मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहाँ भी लागू हों, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) टाई ब्रेकिंग सिद्धांत

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-I: सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता तथा व्यावसायिक कौशल" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; और

(iv) यदि उपर्युक्त टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसका निपटान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

(जितेन्द्र कुमार मंडल)
अवर सचिव (परीक्षा)
संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों हेतु अनुदेश

1. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2027 के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों से आवेदन पत्र ऑनलाइन भरने का अनुरोध किया जाता है।

2. उम्मीदवारों को गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में दिनांक 25 नवंबर, 2026 को प्रकाशित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई), 2027 की नियमावली सावधानीपूर्वक पढ़ने की सलाह दी जाती है, जिसमें पात्रता की शर्तें आदि शामिल हैं।

3. आवेदन पत्र भरने से पहले उम्मीदवार नोटिस तथा नियमावली को सावधानीपूर्वक पढ़कर यह देख लें कि क्या वे पात्र हैं। निर्धारित शर्तों में शिथिलता प्रदान नहीं की जा सकती है।

4. परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा में उपस्थित होते समय ई-प्रवेश पत्र के साथ अपना आधिकारिक पहचान पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

5. उम्मीदवार यह भी सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर सभी जगह अर्थात आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची और आयोग के साथ पत्र-व्यवहार में समान हों और किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता न हो। यदि उनके द्वारा अलग-अलग जगह पर किए गए हस्ताक्षरों में कोई भिन्नता पाई जाती है, तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।

6. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि आवेदन पत्र में की गई किसी भी प्रविष्टि में परिवर्तन करने के लिए आयोग द्वारा किसी पत्र-व्यवहार पर विचार नहीं किया जाएगा। चूंकि आवेदन पत्र एक कंप्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किए जाते हैं, इसलिए वे आवेदन पत्र को सही तरह से भरने पर विशेष ध्यान दें।

7. उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेने के लिए आयोग से यात्रा भत्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

8. उम्मीदवार यह भी ध्यान रखें कि एक बार प्रस्तुत करने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के यूनिवर्सल पंजीकरण (यूआरएन) और समान आवेदन पत्र (सीएएफ) और परीक्षा विशिष्ट प्रपत्र में कुछ भी जोड़ने/हटाने/परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है।

9. आवेदक यह भी सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र भरते समय वे अपनी मान्य और सक्रिय ई-मेल आईडी प्रदान करें क्योंकि आयोग परीक्षा प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में उनसे संपर्क करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का प्रयोग कर सकता है।

10. आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित अंतराल पर अपने ई-मेल देखते रहें और सुनिश्चित करें कि @nic.in से समाप्त होने वाले ई-मेल पते उनके इनबॉक्स फोल्डर में निर्देशित हों और स्पैम या किसी अन्य फोल्डर में न हों।

11. उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख की प्रतीक्षा किए बिना समय पर ऑनलाइन आवेदन करने की सलाह दी जाती है।

***

गृह मंत्रालय
अधिसूचना
नई दिल्ली – **25 नवंबर, 2026**

नियमावली

संख्या. **45012/20/2024/कार्मिक.1:** केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) में रिक्ति वर्ष **2027** में सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) की रिक्तियों को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष **2027** में आयोजित की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा की नियमावली सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है। **उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के परिणाम के अध्यधीन होगा।**

1. परीक्षा के परिणाम के आधार पर भरी जाने वाले रिक्तियों की संख्या आयोग द्वारा जारी नोटिस में निर्दिष्ट की जाएगी। इन रिक्तियों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबद्ध उम्मीदवारों के लिए आरक्षण सरकार द्वारा नियत किया जाएगा।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा इस परीक्षा का आयोजन इस नियमावली के परिशिष्ट-I में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा।

परीक्षा कब और कहां होगी यह आयोग द्वारा निश्चित किया जाएगा ।

3. परीक्षा के वर्ष में 01 जनवरी को मूलभूत प्रशिक्षण अवधि सहित उपनिरीक्षक (जीडी)/निरीक्षक (जीडी) रैंक में उम्मीदवार की 04 वर्ष की नियमित सेवा पूरी होनी चाहिए। उम्मीदवार की सेवा का रिकॉर्ड क्लीन होना चाहिए **अर्थात्, नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने तक पिछले 4 वर्षों में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली, 2001 के नियम-34 (vi-x) में वर्णित किसी लघु दण्ड को अधिरोपित नहीं किया गया हो और/या सम्पूर्ण सेवा अवधि के दौरान केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियमावली के नियम-34 (i-v) के अंतर्गत किसी दीर्घ दण्ड को अधिरोपित नहीं किया गया हो।**

4. उम्मीदवार की आयु 01 अगस्त, **2027** को 35 वर्ष पूरी नहीं होनी चाहिए अर्थात उसका जन्म 02 अगस्त, **1992** से पहले न हुआ हो। हालांकि, उपर्युक्त निर्धारित अधिकतम आयु सीमा का जहां तक संबंध है अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार को 05 वर्ष की अधिकतम छूट प्रदान की जाएगी।

उपर्युक्त व्यवस्था को छोड़कर निर्धारित आयु सीमा में किसी भी परिस्थिति में छूट नहीं दी जाएगी।

5. प्रत्येक उम्मीदवार जो अन्यथा परीक्षा में भाग लेने का पात्र है, उसे परीक्षा हेतु कुल 03 (तीन) अवसर दिए जाएंगे।

6. सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने के लिए शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक स्तर की होनी चाहिए।

7. एनसीसी 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण-पत्र होना एक वांछनीय अर्हता है। इन वांछनीय अर्हताओं पर विचार केवल साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के समय किया जाएगा।

8. नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्दिष्ट के.औ.सु.ब., **2027** में सहायक कमांडेंट (कार्यकारी) के चयन हेतु सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में प्रवेश के लिए उम्मीदवार को निर्धारित शारीरिक तथा चिकित्सकीय मानक पूरे करने होंगे।

9. गृह मंत्रालय द्वारा भारत के राजपत्र में परीक्षा नियमावली अधिसूचित होने और आयोग द्वारा परीक्षा का नोटिस जारी किए जाने के बाद उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट (https://upsconline.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन भरेगा तथा उसकी एक प्रति (हार्ड कॉपी) उचित माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्राधिकारियों को सत्यापन के लिए प्रस्तुत करेगा, जिसे आगे आयोग को भेजा जाएगा। निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार उम्मीदवारों की पात्रता का निर्धारण करने के लिए आवेदनों की संवीक्षा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा की जाएगी। हालांकि परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी उम्मीदवार का आवेदन स्वीकार करने तथा उसकी पात्रता अथवा अन्यथा के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

10. परीक्षा में आवदेन करने वाले उम्मीदवार यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हों। परीक्षा के उन सभी चरणों, जिनके लिए आयोग ने उन्हें प्रवेश दिया है अर्थात लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा अथवा व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा में उनका प्रवेश पूर्णतः **अंनतिम** होगा, जो उनके निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करने के अधीन होगा। यदि लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षण एवं चिकित्सीय मानक परीक्षा या व्यक्तित्व/साक्षात्कार परीक्षा के पहले या बाद में सत्यापन करने पर यह पता चलता है कि वे पात्रता शर्तों में से कोई पूरी नहीं करते हैं तो परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी **रद्द** कर दी जाएगी।

11. इस परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों के लिए ई-प्रवेश पत्र परीक्षा की तारीख से **एक सप्ताह** पहले आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जिसे पात्र उम्मीदवारों द्वारा डाउनलोड किया जा सकता है। आयोग द्वारा कोई कागजी ई-प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। जब तक उम्मीदवार के पास डाउनलोड किया हुआ ई-प्रवेश पत्र नहीं होगा तब तक उन्हें परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा ।

12 (1) जो उम्मीदवार निम्नांकित कदाचार का दोषी है या आयोग द्वारा दोषी घोषित हो चुका है:-

(क) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात्:

(i) गैर-कानूनी रूप से पारितोषण की पेशकश करना, या

(ii) दबाव डालना, या

(iii) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ख) नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा

(ग) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप से कार्यसाधन कराया है, अथवा

(घ) जाली प्रमाण-पत्र/गलत प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना जिसमें तथ्य को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(ङ) आवेदन पत्र में वास्तविक फोटो/हस्ताक्षर के स्थान पर असंगत फोटो/हस्ताक्षर अपलोड करना; अथवा

(च) गलत या झूठे वक्तव्य देना या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना; अथवा

(छ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात:

(i) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना;

(ii) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना;

(iii) परीक्षकों को प्रभावित करना;

(ज) परीक्षा के दौरान उम्मीदवार के पास अनुचित साधनों का पाया जाना अथवा अपनाया जाना; अथवा

(झ) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना या भद्दे रेखाचित्र बनाना अथवा असंगत सामग्री; अथवा

(ञ) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना जिसमें उत्तर पुस्तिकाओं को फाड़ना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है; अथवा

(ट) परीक्षा के संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकी दी हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; अथवा

(ठ) परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन (चाहे वह स्विच ऑफ हो), पेजर या किसी अन्य प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या प्रोग्राम किए जा सकने वाला डिवाइस या पेन ड्राइव जैसा कोई स्टोरेज मीडिया, स्मार्ट वॉच इत्यादि या कैमरा या ब्लूटूथ डिवाइस या कोई अन्य उपकरण या संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य संबंधित उपकरण, (चाहे वह बंद हो या चालू) प्रयोग करते हुए या आपके पास पाया गया हो; अथवा

(ड) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवार को भेजे गए प्रवेश-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है; अथवा

(ढ) उपर्युक्त खण्डों में उल्लिखित सभी अथवा किसी कार्य को करने का प्रयास करना या जैसा भी मामला हो, उसे करने के लिए उकसाना,

तो उस पर समय-समय पर संशोधित लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अन्तर्गत आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसिक्यूशन)/यथोचित उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ आयोग द्वारा उम्मीदवार को इस नियमावली के अंतर्गत परीक्षा हेतु अयोग्य ठहराया जाएगा और/अथवा उसे स्थायी रूप से अथवा निर्दिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा:-

(i) आयोग द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा या चयन से;

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से;

यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है; बशर्ते इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक:

(i) उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया जाए, और

(ii) उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर अनुमत समय में विचार न कर लिया जाए।

12(2) कोई भी व्यक्ति, जो आयोग द्वारा उक्त खंड (क) से (ड) में उल्लिखित कुकृत्यों में से किसी कुकृत्य को करने में किसी अन्य उम्मीदवार के साथ मिलीभगत या सहयोग का दोषी पाया जाता है, उसके विरूद्ध खंड (ढ) के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है।

13(1) जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में आयोग द्वारा अपने विवेकाधिकार से निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त कर लेते है उन्हें के.औ.सु.ब. द्वारा शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा जिससे यह जांच हो सके कि क्या वे इस नियमावली के <u>परिशिष्ट-।।</u> में विनिर्दिष्ट शारीरिक और चिकित्सीय मानकों को पूरा करते हैं।

13(2) किसी भी चरण पर किसी एक अथवा सभी पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानक निर्धारित करने का विवेकाधिकार आयोग के पास है तथा केवल ऐसे उम्मीदवारों के परंपरागत पेपरों का मूल्यांकन करने का अधिकार आयोग को है जिसमें, उन्होंने आयोग के विवेकाधिकार द्वारा निर्धारित वस्तुनिष्ठ पेपरों में न्यूनतम अर्हक मानक प्राप्त किए हों।

13(3) किंतु यह कि यदि आयोग को ऐसा लगे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए लिखित परीक्षा में सामान्य मानकों के आधार पर शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षाओं के लिए इन

श्रेणियों से आवेदकों की पर्याप्त संख्या मिलने की संभावना नहीं हैं तो उन्हें मानकों में छूट प्रदान करते हुए शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण तथा चिकित्सकीय मानक परीक्षा के लिए बुलाया जा सकता है।

13(4) वे उम्मीदवार जो इस नियमावली के परिशिष्ट-।। में विनिर्धारित शारीरिक मानकों को पूरा करते हैं उनका शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.) किया जाएगा जिसे नीचे दर्शाया गया है:

शारीरिक दक्षता परीक्षण (पी.ई.टी.)

		पुरुष	**महिला**
(क)	100 मीटर दौड़	16 सेकेण्ड में	18 सेकेण्ड में
(ख)	800 मीटर दौड़	3 मिनट 45 सेकेण्ड में	4 मिनट 45 सेकेण्ड में
(ग)	लम्बी कूद	3.5 मीटर (3 अवसर)	3 मीटर (3 अवसर)
(ड)	गोला फेंकना (शॉट पुट) (7.26 किलो)	4.5 मीटर (3 अवसर)	--

ये परीक्षण केवल अर्हक प्रकृति के होंगे और इनके कोई अंक नही होंगे। इन परीक्षणों में से किसी भी परीक्षण में असफलता अयोग्यता मानी जाएगी।

महिला उम्मीदवारों द्वारा पीएसटी (शारीरिक मानक परीक्षण)/पीईटी (शारीरिक दक्षता परीक्षण) के लिए रिपोर्ट करते समय, गर्भावस्था के संबंध में अपनी स्थिति का उल्लेख करते हुए एक स्व-घोषणा प्रस्तुत की जाएगी। यदि वह घोषणा करती है कि वह गर्भवती नहीं है तो उसे पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। मिथ्या घोषणा करने के मामले में, पीएसटी/पीईटी में भाग लेने पर समस्त जोखिम के लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगी। यदि कोई महिला उम्मीदवार पीएसटी/पीईटी से पूर्व घोषणा करती है कि वह गर्भवती है, तो इस बात की पुष्टि के लिए एक परीक्षण किया जाएगा और यदि वह गर्भवती पाई जाती है, चाहे उसकी गर्भावस्था की अवधि कुछ भी हो, तो उसे अस्थायी रूप से अनफिट घोषित किया जाएगा और प्रसव होने तक उसकी नियुक्ति को रोक दिया जाएगा। जिस पद के लिए महिला उम्मीदवार का चयन किया गया था, उसे उस महिला के लिए आरक्षित रखा जाना चाहिए। प्रसूति के छह सप्ताह बाद किसी पंजीकृत चिकित्सक से प्राप्त फिटनेस का चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर पीएसटी/पीईटी हेतु उसका पुन: परीक्षण किया जाएगा। यदि वह पीएसटी/पीईटी और डीएमई में फिट पाई जाती है, तो उसके लिए आरक्षित रखे गए पद पर उसे नियुक्त किया जा सकता है और समय-समय पर यथासंशोधित सरकार के अनुदेशों के अनुसार वरिष्ठता का लाभ दिया जा सकता है। यदि महिला उम्मीदवार गर्भवती नहीं पाई जाती हैं, तो उन्हें पीएसटी/पीईटी में भाग लेने की अनुमति दी जा सकती है।

आगे यह प्रावधान भी किया गया है कि गर्भावस्था और उसके कारण अस्थायी अनफिट होने के कारण आयोग द्वारा अंतिम रूप से दिए गए व्यक्तित्व साक्षात्कार कार्यक्रम के अनुसार अन्य उम्मीदवारों के

साथ साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण में उसकी उपस्थिति पर कोई रोक नहीं होगी और साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण से उसकी अनुपस्थिति पर के.औ.सु.ब. सहा.कमां (कार्यकारी) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2027 के लिए उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13(5) परिशिष्ट-।। में निर्धारित मानदडों की जांच करने हेतु केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सकीय मानक परीक्षा {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} की जाएगी, जो उम्मीदवार शारीरिक दक्षता परीक्षण में अर्हक घोषित किए गए हैं। उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षा में **"फिट" या "अनफिट"** घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान **"अनफिट"** घोषित किया जाता है, उन्हें समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई) में शामिल होने की अनुमति होगी, बशर्ते वे अनफिट होने के कारणों का उल्लेख करते हुए लिखित रूप में अपनी सहमति दें, जिस पर उनके हस्ताक्षर हों। उम्मीदवारों की समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई), विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के क्रम में, अधिमानतः डीएमई के अगले दिन की जाएगी।

13(6) शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) एवं चिकित्सकीय मानक परीक्षा का आयोजन के.औ.सु.ब. के पर्यवेक्षण में होगा। ये परीक्षण विभिन्न केन्द्रों में आयोजित किए जाएंगे, जिन्हें लिखित परीक्षा परिणाम के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

13(7) वे सभी उम्मीदवार जिन्हें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) के दौरान अनफिट घोषित किया गया है, उन्हें आरएमई हेतु निर्धारित प्रपत्र में अपनी सहमति देनी होगी, जिस पर उम्मीदवार द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए गए हों। उम्मीदवार को डीएमई में अपने अनफिट होने के संबंध में सूचना प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर इसे प्रस्तुत करना होगा।

13(8) जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षाओं {जिसमें विस्तृत चिकित्सा परीक्षा (डीएमई) तथा समीक्षा चिकित्सा परीक्षा (आरएमई), यदि अपेक्षित हो, शामिल हैं} में अर्हक घोषित किया जाता है उन्हें संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाले साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार/ व्यक्तित्व परीक्षण के 200 अंक होंगे।

13(9) साक्षात्कार/व्यक्तित्व परीक्षण सक्षम तथा निष्पक्ष व्यक्तियों के बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाएगा जिनके समक्ष उम्मीदवारों के जीवन-वृत का रिकॉर्ड प्रस्तुत होगा। उम्मीदवार से उनके संबंधित क्षेत्र के साथ-साथ सामान्य अभिरूचि के विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगें ताकि उनकी जागरूकता और समझ की जांच हो सके। विस्तृत अर्थों में यह न केवल उनकी मानसिक योग्यता बल्कि उनके सामाजिक गुणों और चरित्र की सत्यनिष्ठा का मूल्यांकन होगा। बोर्ड मोटे तौर पर अन्य बातों के साथ-साथ उम्मीदवार का निम्नलिखित मूल्यांकन करेगाः

(i) **शारीरिक बनावट**

(क) रूप-रंग ।

(ख) आचरण ।

(ग) शिष्टाचार एवं व्यक्तिगत व्यवहार ।

(ii) **सामान्य बुद्धिमत्ता, अभिरुचि एवं रुचि**

(क) तथ्यों एवं स्थितियों को समझने, उनका विश्लेषण करने तथा उनको प्रस्तुत करने की योग्यता ।

(ख) कार्य संबंधी अभिरुचि जैसे अनुशासन, समानुभूति आदि।

(ग) पाठ्येतर गतिविधियां - खेलों, खेल-कूद, वाद-विवाद आदि में भागीदारी ।

(iii) **मनोवृत्ति**

(क) नेतृत्व, संचालन, संकल्प, शीघ्र निर्णय लेना आदि।

(ख) आत्म निर्भरता ।

(ग) तनाव एवं संकट का सामना करने की क्षमता ।

(घ) साहस-नैतिक एवं शारीरिक।

(iv) **व्यक्त्वि के व्यावहारिक पहलू**

(क) उच्चाधिकारियों तथा अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ अंतःव्यैक्तिक संबंध।

(ख) मूल्यों, सत्यनिष्ठा, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अभिमुखीकरण के प्रति वचनबद्धता ।

13(10) ऐसे उम्मीदवार जो शारीरिक मानक/शारीरिक दक्षता परीक्षणों या चिकित्सकीय मानक परीक्षाओं में अर्हता प्राप्त नहीं करते हैं, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

14(1) साक्षात्कार के बाद, परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप सें प्रदान किए गए कुल अंकों के आधार पर आयोग द्वारा उम्मीदवारों को योग्यताक्रम में व्यवस्थित किया जाएगा। उस क्रम में उतने ही उम्मीदवारों को, जिन्हें आयोग द्वारा परीक्षा में नियुक्ति के लिए अर्हक पाया गया है, परीक्षा के परिणाम के आधार पर अनारक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार पद पर चयन के लिए आयोग द्वारा अनुशंसित किया जाएगा।

14(2) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या के अनुसार, इन उम्मीदवारों के पद पर चयन हेतु उपयुक्त होने की शर्त के अधीन शिथिल मानकों पर आयोग द्वारा चयन के लिए अनुशंसित किया जा सकता है।

किंतु यह कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवार जिन्होंने परीक्षा के किसी भी चरण पर पात्रता या चयन मानदंड में किसी भी प्रकार की रियायत या छूट का लाभ नहीं लिया है तथा वे उम्मीदवार जो आयोग द्वारा सामान्य अर्हक मानक के आधार पर अनुशंसा के लिए योग्य पाए गए हैं, को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए अनुशंसित नहीं किया जाएगा।

किंतु यह भी कि जो उम्मीदवार योग्यताक्रम सूची में अर्हता प्राप्त करते हैं परन्तु, जिनका चिकित्सकीय मानक परीक्षा का परिणाम लम्बित है, उनको अस्थायी रूप से अनुशंसित किया जाएगा।

और यह भी कि उम्मीदवारों का अंतिम चयन दिवाकर पाण्डे तथा अन्य बनाम गृह मंत्रालय तथा अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय (नई दिल्ली) में दायर रिट याचिका (सिविल) संख्या 5877/2022 के अंतिम परिणाम के अध्यधीन होगा ।

14(3) टाई के सभी मामलों का समाधान 'अकों को पूर्णांकित करने' और 'टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों' के आधार पर निम्नानुसार किया जाएगा:-

(क) <u>अकों को पूर्णांकित करना:</u>

परीक्षा के सभी चरण (चरणों) में, उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों को, मानक पूर्णांकन सिद्धांत लागू करते हुए, जहां भी लागू हो, दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित किया जाएगा। तदनुसार, टाई-ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करते समय, टाई के सभी को मामलों को हल करने के लिए दो दशमलव अंकों तक पूर्णांकित अंकों पर विचार किया जाएगा।

(ख) <u>टाई ब्रेकिंग सिद्धांत</u>

(i) यदि कुल अंक (अंतिम अंक) बराबर हैं, तो लिखित परीक्षा के कुल अंकों में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(ii) यदि उपरोक्त (i) में अंक समान हैं, तो "पेपर-I: सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता तथा व्यावसायिक कौशल" में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी;

(iii) यदि उपरोक्त (i) और (ii) के अंक भी समान हैं, तो आयु में वरिष्ठ उम्मीदवार को उच्चतर रैंक दी जाएगी; और

(iv) यदि उपर्युक्त टाई ब्रेकिंग सिद्धांतों को लागू करने के उपरांत भी टाई रहता है, तो इसका निपटान आयोग के विवेकानुसार किया जाएगा।

15. प्रत्येक उम्मीदवार की परीक्षा का परिणाम संप्रेषित करने के रूप तथा विधि का निर्णय आयोग द्वारा अपने विवेकानुसार किया जाएगा तथा आयोग परिणाम के संबंध में किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार नहीं करेगा।

16. उम्मीदवार को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ और शारीरिक विकारों से मुक्त होना चाहिए, जिससे सेवा के अधिकारी के रूप में उसके कार्यों के निष्पादन में कोई व्यवधान आने की संभावना न रहे। सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा विनिर्धारित ऐसी चिकित्सकीय परीक्षा के बाद जो उम्मीदवार इन अपेक्षाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते, उन्हें नियुक्त नहीं किया जाएगा। उम्मीदवार को के.औ.सु.ब. के दिनांक 28.01.2009 के परिपत्र संख्या (145) अनुसार वार्षिक चिकित्सा परीक्षा-**2026** (अगस्त, **2027** तक मान्य होना चाहिए) के दौरान शेप-I (एसएचएपीई-I) चिकित्सा श्रेणी में होना चाहिए।

17. अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों की सूची आयोग द्वारा प्रशिक्षण और चिकित्सा जांच हेतु सहायक कमाण्डेंट (कार्यकारी) के पद पर 'नियुक्ति पत्र' भेजने के लिए गृह मंत्रालय/ महानिदेशालय, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को अग्रेषित की जाएगी। चयनित उम्मीदवार बल के प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और दो वर्ष की परिवीक्षा पर रहेंगे।

18. परीक्षा के किसी भी चरण में उम्मीदवार को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता/ दैनिक भत्ता/ यात्रा खर्च की अनुमति नहीं होगी।

(दीपक शर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट-।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेन्ट के पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा हेतु लिखित परीक्षा की योजना तथा पाठ्यक्रम।

(I) लिखित परीक्षा की योजनाः-

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा में निम्नलिखित दो पेपर होंगे:

पेपर-I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमत्ता और व्यावसायिक कौशल:

प्रश्नों की संख्या	कुल अंक	समय
150	300	02.30 घंटे

यह पेपर वस्तुनिष्ठ प्रकार (बहुविकल्प प्रश्न) का होगा । इसमें प्रश्न हिन्दी के साथ-साथ अंग्रेजी में भी होंगे। पेपर निम्नलिखित दो भागों में होगा:

भाग (क) : सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता - 150 अंक
(75 प्रश्न)

भाग (ख) : व्यावसायिक कौशल - 150 अंक
(75 प्रश्न)

पेपर-II: निबन्ध, सार-लेखन एवं अपठित गद्यांश - 100 अंक (2 घण्टे)

इस पेपर में उम्मीदवारों को निबंध अंग्रेजी या हिन्दी भाषा में लिखने का विकल्प मिलेगा किन्तु, सार-लेखन एवं अपठित गद्यांश केवल अंग्रेजी माध्यम में ही लिखने की अनुमति होगी।

टिप्पणी-1: उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पेपर-।। के उपर्युक्त विभिन्न संघटकों के लिए, उत्तर आयोग द्वारा अनुमत-माध्यम में ही लिखें। पेपर में अनुमत माध्यम के अलावा अन्य माध्यम में उत्तर लिखने पर उसका आकलन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-2: उम्मीदवारों को निबंध लिखने का माध्यम उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में निर्दिष्ट करना होगा। यदि उम्मीदवार उपस्थिति सूची तथा उत्तर पुस्तिका में उस माध्यम से भिन्न माध्यम दर्शाता है जिसमें उसने निबंध लिखा है तो उसके निबंध का आकलन नहीं किया जाएगा।

टिप्पणी-3: प्रत्येक पेपर में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक होंगे जो आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

टिप्पणी-4: आयोग लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की सूची जारी करेगा। के.औ.सु.ब. द्वारा पहले पीईटी (शारीरिक क्षमता परीक्षण) आयोजित किया जाएगा और केवल उन उम्मीदवारों की चिकित्सकीय क्षमता परीक्षा की जाएगी जिनको पीईटी में अर्हक घोषित किया जाता है।

टिप्पणी-5: जो उम्मीदवार चिकित्सा परीक्षा और शारीरिक क्षमता परीक्षण में अर्हता प्राप्त करते हैं उन्हें आयोग द्वारा आयोजित व्यक्तित्व परीक्षण/साक्षात्कार में शामिल होना होगा।

उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण होने पर उम्मीदवारों की अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी और आगे की कार्यवाही के लिए के.औ.सु.ब. प्राधिकारी को प्रेषित की जाएगी।

(।।) **लिखित पेपरों का पाठ्यक्रम:**

पेपर –I: सामान्य योग्यता, बुद्धिमत्ता एवं व्यावसायिक कौशल

भाग-क: सामान्य योग्यता एवं बुद्धिमत्ता:- पेपर में बहु-विकल्प सहित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे जो व्यापक रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित होंगे:

1. सामान्य योग्यता:

संख्यात्मक योग्यता एवं आंकड़ा निर्वचन सहित तार्किक विवेचना, मात्रात्मक अभिरूचि के परीक्षण हेतु प्रश्न किए जाएंगे।

2. सामान्य विज्ञान:

सामान्य ज्ञान, वैज्ञानिक सोच, महत्वपूर्ण नये क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी, पर्यावरण विज्ञान सहित वैज्ञानिक घटनाओं के दैनिक प्रेक्षण के परीक्षण हेतु प्रश्न तैयार किए जाएंगे।

3. राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं:

इन प्रश्नों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राराष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित व्यापक क्षेत्रों जैसे संस्कृति, संगीत, कला, साहित्य, खेल, शासन, सामाजिक तथा विकासात्मक मुद्दों, उद्योग, व्यवसाय, भूमंडलीकरण तथा देशों के बीच पारस्परिक संबंधों के बारे में उम्मीदवारों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा।

4. सामान्य ज्ञान:

इन प्रश्नों से उम्मीदवारों के सामान्य ज्ञान तथा उससे संबद्ध प्रश्न जैसे भारत का इतिहास, भारतीय और वैश्विक भूगोल के साथ-साथ भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था संबंधी विषयों की जानकारी का परीक्षण किया जाएगा ।

भाग (ख) : व्यावसायिक कौशल:

यह परीक्षा के.औ.सु.ब. की प्रचालनात्मक और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप उम्मीदवारों के व्यावसायिक कौशल का परीक्षण करने के लिए तैयार की गई है और इसमें मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा:

1. **<u>के.औ.सु.ब. सबंधित व्यावसायिक कौशल :</u>**
    - औद्योगिक सुरक्षा;
    - औद्योगिक संरक्षा और अग्निशमन;
    - आपदा प्रबंधन;
    - विमानन सुरक्षा;
    - आसूचना और अपराध - जासूसी, अंतर्ध्वंस, विध्वंसक गतिविधि
    - परिधि सुरक्षा
    - महत्वपूर्ण संस्थानों की सुरक्षा- डी. ए. ई., मेट्रो रेल, अंतरिक्ष, सरकारी भवन, बंदरगाह, जेल;
    - तकनीकी उपस्करों का प्रयोग-अलार्म, डिटेक्शन, घुसपैठ, आवागमन नियंत्रण, अग्नि सुरक्षा;
    - बम की खोज और निपटान;
    - वी आई पी सुरक्षा;
    - आंतरिक सुरक्षा और चुनावी ड्यूटी;
    - सुरक्षा कार्यों में ड्रोन प्रौद्योगिकी;
    - सुरक्षा परामर्श

2. **<u>कानून :</u>**
    - **भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023** (खंड: 35-62 गिरफ्तारी, 96-110 तलाशी एवं जब्ती, 148-151 गैर-कानूनी जमावड़ा, 163 उपद्रव या आशंकित खतरे के अत्यावश्यक मामले, 168-172 पुलिस की निरोधात्मक कार्रवाई);
    - **भारतीय न्याय संहिता, 2023** (खंड: 2(28) लोक सेवक, 14-44 सामान्य अपवाद, 112-113 छोटे-मोटे संगठित अपराध, आतंकवादी कृत्य, 152 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाला कार्य, 171 चुनाव में अनुचित प्रभाव, 189-197 सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध, 286-290 जहरीले पदार्थ, आग या ज्वलनशील पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ, मशीनरी, इमारतों की मरम्मत या निर्माण आदि के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण, 304 झपटमारी, 303-307 चोरी, 316-317 आपराधिक विश्वासघात, चोरी की संपत्ति, 324-328 शरारत, 329-334 आपराधिक अतिचार, 351 आपराधिक धमकी);
    - **भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023** (खंड: 2(ई) साक्ष्य, 57 एवं 58 प्राथमिक साक्ष्य और द्वितीय साक्ष्य);
    - **औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (खंड-VII);**
    - **अन्य अपराधिक गतिविधियां** (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000, यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012);

- **मानवाधिकार** (मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19, 20, 21 एवं 22, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध व निवारण) अधिनियम, 2013)

3. **<u>कम्प्यूटर संबंधी कौशल और जागरूकता</u>:**
   - कंम्प्यूटर सुरक्षा
   - मूलभूत कम्प्यूटर प्रचालन
   - मूलभूत हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर
   - आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

4. **<u>सेवा नियमावली और एच आर मामले</u>:**
   - सी.सी.ए. नियमावली;
   - के.औ.सु.ब. अधिनियम और नियमावली;
   - के.औ.सु.ब. से संबंधित एचआर कार्य;

<u>प्रश्न पत्र ।।: निबंध, सार-लेखन और अपठित गद्यांश</u>

यह प्रश्न-पत्र दिए गए निबंध के विषय पर उम्मीदवारों द्वारा अपने विचारों को सुसंगत, क्रमबद्ध, संक्षिप्त, समझने योग्य तथा सुबोध तरीके से प्रभावी तथा त्रुटि रहित वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध भाषा में प्रस्तुत कर पाने की योग्यता का परीक्षण करेगा।

इसके अतिरिक्त, इस प्रश्न-पत्र से उम्मीदवार की सार-लेखन (प्रेसी राईटिंग) तथा अपठित गद्यांश के लिए दिए गए पैराग्राफ को समझने तथा संक्षेपण हेतु दिए गए उद्धरण का सार लिखने की निपुणता और अपठित गद्यांश में लघु प्रश्नों के जवाब देने की योग्यता का परीक्षण भी किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-।।

सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा- 2027 के माध्यम से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सहायक कमाण्डेंट के पद के लिए चयनित उम्मीदवारों हेतु शारीरिक और चिकित्सा मानक

परिशिष्ट--।। (क)

(1) शारीरिक मानक:

सभी वर्गों के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम अपेक्षाएं निम्नानुसार हैं:

	पुरूष	**महिला**
कद	165 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)	157 से.मी. (सामान्य एवं अनुसूचित जाति)
	162.5 से.मी. (अनुसूचित जनजाति)	154 से.मी. (अनुसूचित जनजाति)
छाती (बिना फुलाए)	81 से.मी. (न्यूनतम 5 से.मी. फुलाव के साथ)	लागू नहीं
वजन	कद के अनुरूप	कद के अनुरूप
चिकित्सा श्रेणी	शेप-1	शेप-1

इसके अलावा, वजन **परिशिष्ट-।। (ख)** में दर्शाए गए कद और वजन के अनुरूप होना चाहिए।

(2) चिकित्सा मानक:

(क) दृष्टि:

	अच्छी आंख (सही की गई दृष्टि)	खराब आंख (सही की गई दृष्टि)
दूर दृष्टि	6/6 अथवा 6/9	6/12 6/9
निकट दृष्टि	जे I (करेक्टेड)	जे 2 (करेक्टेड)

उम्मीदवार में किसी भी प्रकार का भैंगापन नहीं होना चाहिए और रंगदृष्टि बेहतरीन होनी चाहिए। उम्मीदवार की रंगदृष्टि की जांच इशिहारा परीक्षण और एड्रिज-ग्रीन-लैंटर्न परीक्षण द्वारा की जाएगी। आंखों में दीप्ति, स्पष्टता के साथ-साथ कोई भी असामान्यता/बीमारी नहीं होनी चाहिए। आंखों की पुतलियां पूरी तरह और सभी दिशाओं में घूमती हों। निकटदृष्टि के प्रत्येक मामले में फण्डस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकॉर्ड किए जाएंगे। कांटेक्ट लैन्स या लेजर शल्य चिकित्सा की अनुमति नहीं है।

(ख) **कैरिंग एंगल-**

कैरिंग एंगल पुरुषों के लिए 15 डिग्री और महिलाओं के लिए 20 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए ।

(ग) **कान-**

(।) उम्मीदवार में किसी प्रकार की बधिरता नहीं होनी चाहिए या स्थायी रूप से कान से कोई स्राव न हो ।

(।।) उम्मीदवार में कोई अन्य दशा (जन्मजात या उपार्जित) जैसे – मियेटस का नलिकारोध, एक्सोस्टोसिस, नियोप्लाज्म जो कर्णमार्ग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता हो और बार-बार कान में दर्द होने, टिनिटस और वर्टिगो का इतिहास नहीं होना चाहिए।

(घ) **नाक-** उम्मीदवार में डी एन एस, एट्रोफिक राइनाटिस ट्यूबरक्युलर, अल्सरेशन तथा क्रॉनिक साइनसाइटिस नहीं होना चाहिए।

(ड) **ग्रीवा-** उम्मीदवार के लिम्फ नोड्स में सूजन, थायरायड या गले में अन्य प्रकार की सूजन, गर्दन को पूर्णरूपेण घुमाने में अक्षमता या मेरूदण्ड या सर्विकल वर्टिब्रा की बीमारियों का कोई लक्षण न हो।

(च) **दांत-** सुचारू रूप से चबाने के लिए उम्मीदवार में समुचित संख्या में दांत अवश्य होने चाहिए। उम्मीदवार को गंभीर पायरिया न हो।

(छ) **रतिज रोग-** उम्मीदवार में नैदानिक वीडी के सक्रिय चिन्ह नहीं होने चाहिएं।

(ज) **चिरकालिक त्वचा रोग-** उम्मीदवार में चिरकालिक त्वचा रोग जैसे कुष्ठ, क्रॉनिक डर्माटाइटिस, एक्सटेंसिव पिटीरियासिस वर्सीकालर, सोरायसिस, एसएलई आदि नहीं होने चाहिए।

(3) **सामान्य मानक:**

(क) शब्दों का उच्चारण दोष रहित अर्थात् हकलाहट के बिना होना चाहिए ।

(ख) उम्मीदवार में चिरकालिक रोग जैसे क्षय, किसी प्रकार का गठिया, उच्च रक्त दाब, मधुमेह, श्वासनिक दमा, किसी प्रकार की हृदय की बीमारी के लक्षण नहीं होने चाहिए।

(ग) उम्मीदवार के शरीर में कहीं कोई ग्रन्थिल तथा प्रत्यक्ष सूजन नहीं होनी चाहिए।

(घ) वक्ष सुगठित होना चाहिए और किसी प्रकार की असामान्यता अर्थात् रिकेटी गुटिका - माला दोष सहित चपटा वक्ष, कपोत वक्ष नहीं होना चाहिए। दिल एवं फेफडे स्वस्थ होने चाहिए।

(ङ) अंग, हाथ तथा पाँव सुगठित तथा सुविकसित होने चाहिए तथा सभी जोड़ ठीक ढंग से काम करते हों।

(च) कोई पुराना/कुसंयोजित अस्थिभंग नहीं होना चाहिए।

(छ) सभी जोड़ निर्बाध रूप से और ठीक ढंग से काम करते हों।

(ज) पाँव तथा पाँव की उंगलियां सुगठित होनी चाहिए।

(झ) कोई जन्मजात विकृति या दोष नहीं होना चाहिए।

(ञ) किसी पिछले गंभीर या चिरकालिक रोग के संकेत नहीं होने चाहिए जिससे, दोषयुक्त गठन का पता चले।

(ट) उम्मीदवार को जनन-मूत्र पथ का कोई रोग न हो।

(ठ) उम्मीदवार को वंक्षण, वृषणकोशीय सूजन या किसी प्रकार हर्निया न हो।

(ड) (केवल पुरूषों के लिए) दोनों वृषण वृषणकोश में हों तथा सामान्य आकार के हों।

(ढ) उम्मीदवार के नॉक नीज़ (Knock Knees), चपटे पाँव (Flat feet) तथा वेरिकोस वेन्स न हों।

(ण) उनका मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम हो तथा ऐसे शारीरिक दोषों से मुक्त हों जिनसे कर्त्तव्यों के दक्षतापूर्ण कार्य-निष्पादन में बाधा आने की संभावना हो।

(4) उम्मीदवार टेकिकार्डिया (नाडी दर 100 प्रति मिनट से अधिक) या ब्रैडीकार्डिया (नाड़ी दर 50 प्रति मिनट से कम) से पीड़ित न हो ।

(5) उम्मीदवार हर्निया, अर्श, कॉन्डिलोमेटा मलाशय भ्रंश (कॉन्डिलोमाटा प्रोलैप्स रेक्टम) से पीड़ित न हो।

टिप्पणीः

1. **केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों की भर्ती हेतु चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के दिनांक 20.05.2015 के यूओ द्वारा जारी संशोधित समान दिशा-निर्देशों के अनुसार की जाएगी तथा केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों एवं असम रायफल में राजपत्रित एवं अराजपत्रित अधिकारियों के लिए समीक्षा चिकित्सा परीक्षा, गृह मंत्रालय के दिनांक 31.05.2021 के यूओ सं. ई-32012/एडीजी (चिकित्सा)/डीएमई एवं आरएमई/डीए-1(2020)/पार्ट फाइल/1166 के तहत जारी समीक्षा चिकित्सा परीक्षा हेतु संशोधित समान दिशा-निर्देशों के अनुसार आयोजित की जाएगी ।**

2. **उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षा में "फिट" या "अनफिट" घोषित किया जाएगा। जिन उम्मीदवारों को चिकित्सा मानक परीक्षाओं में अनफिट घोषित किया जाता है, उन्हें अधिमानत: विस्तृत चिकित्सा परीक्षा के अगले दिन समीक्षा चिकित्सा बोर्ड के समक्ष, उपस्थित होने की अनुमति होगी।**

परिशिष्ट-।। (ख)

विभिन्न आयु वर्गों तथा कद के लिए पुरूष का औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में।

कद से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
156	44-54	46-56	47-58	48-59
158	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5
160	46-56	47.7-58.5	49.5-60.5	50.5-61.5
162	47-58	49-60	50.5-61.5	52-63
164	48-59	50-61	52-63.5	53-65
166	49.5-60.5	51.5-62.5	53-65	54.5-66.5
168	51-62	52.5-64.5	54.5-66.5	56-68
170	52-64	54-66	56-68	57.5-70.5
172	54-66	55.5-67.5	57-70	59-72
174	55-67	57-70	59-72	61-74.5
176	56.5-69	58.5-71.5	60.5-73.5	62-76
178	57.5-70.5	60-73	61.5-75.5	63.5-77.5
180	59-72	61-75	63.5-77.5	65.5-80
182	61-74.5	62.5-76.5	65-79	66.5-81.5
184	63-77	64.5-78.5	66.5-81.5	68.5-83.5
186	63.5-77.5	65.5-80.5	68-83	70-86
188	65-79	67.5-82.5	70-85.5	71.5-87.5
190	66-81	68.5-83.5	70.5-86.5	72.5-88.5

विभिन्न आयु वर्गों तथा कद के लिए महिला का औसत शारीरिक वजन किलोग्राम में।

कद से.मी.	आयु वर्षों में			
	18-22	23-27	28-32	33-37
148	34.5-42.5	37-45	38.5-47	39.5-48.5
150	36.5-44.5	37.5-45.5	39-48	40.5-49.5
153	38-46	39-48	41-50	42-51
155	38.5-47.5	40-49	41.5-50.5	43-52.5

158	40.5-49.5	42-51	43-53	44.5-54.5
160	41.5-50.5	43-52.5	44-54	45.5-54.5
163	43-52.5	44-54	46-56	47-57
165	44-54	45.5-55.5	47-58	48.5-59.5
168	45-55	47-57	48.5-59.5	49.5-60.5

इस सारणी में केवल चुनिंदा कद (से.मी.) के संबंध में संगत शारीरिक वजन दिए गए हैं। बीच के कद के संबंध में शारीरिक वजन की गणना के लिए "औसत" का सिद्धान्त प्रयुक्त किया जा सकता है।

सारणीबद्ध कद से बाहर के औसत वजन की गणना के लिए कद में प्रत्येक एक से.मी. की वृद्धि या कमी के लिए 0.71 कि.ग्रा. क्रमशः बढ़ाया या घटाया जा सकता है।

******